न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 44 / 2021

वादीगण :–

1. लक्ष्मी पत्नि बाबूलाल
2. गजराज पुत्र श्री बाबुलाल
3. मंजूबाला पुत्री श्री बाबुलाल
4. गायत्री पुत्री श्री बाबुलाल
5. सजनकंवर पुत्री श्री बाबुलाल
   जातियान साद निवासी खवासपुरा
   तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
   हाल निवास महामन्दिर, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :–

भूमिधारी जरीये तहसीलदार,
पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री जेठाराम चौहान – वकील वादी की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 23.07.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
115	555	0.3641 हेक्टेयर	चाहीअलीफ
	556	0.0728 हेक्टेयर	गै. मु. बेरा
	557	0.2912 हेक्टेयर	चाही ए
	558	0.0971 हेक्टेयर	गै.मु.ढाणी
	559	0.4207 हेक्टेयर	चाही अलीफ
	560	0.0566 हेक्टेयर	गै. मु. शमशान
	561	0.2103 हेक्टेयर	चाहीअलीफ
	562	0.3712 हेक्टेयर	"
	563	0.4369 हेक्टेयर	"
	564	0.9789 हेक्टेयर	"
	565	2.1924 हेक्टेयर	"

कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.4931 हेक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय नक्शा के संलग्न पेश है। वादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है –

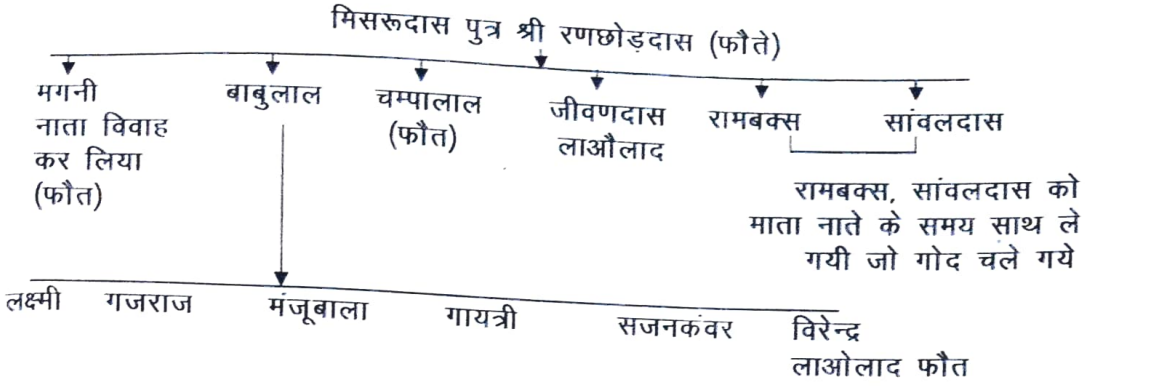

इस प्रकार मिसरूदास का वादग्रस्त आराजी में 1/4 वां हिस्सा था। मिसरूदास अपने जीते–जी 1/4 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते थे। मिसरूदास के देहान्त पश्चात् उनकी पत्नि मगनी अपने नाबालिगान पुत्र रामबक्स व सांवलदास को अपने साथ लेकर नाते चली गयी तथा आकोदा में नाता विवाह कर लिया व मगनी के नातायती पति ने समाज जाति रिवाज अनुसार रामबक्स तथा सांवलदास को गोदीपुत्र के रूप में रख लिया। मगनी व रामबक्स तथा सांवलदास आकोदा में ही रहते थे जहां रामबक्स का देहान्त हो गया। जीवणदास लाऔलाद ही फौत हो गये इस प्रकार मिसरूदास के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान वादीगण के पति/पिता बाबूलाल व चम्पालाल ही रहे। तथा वादग्रस्त आराजी पर बाबूलाल पुत्र मिसरूदास 1/8 वां हिस्सा पर तथा चम्पालाल पुत्र मिसरूदास 1/8वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मिसरूदासजी के देहान्त पश्चात् राजस्व रेकार्ड वादग्रस्त आराजी में चम्पालाल, बाबूलाल, सांवलदास पि. मिसरूदास, भंवरलाल, बाबूदास, मंगलदास पि. रामबक्स 1/4वां हिस्सा के रूप में इन्द्राज कर दिये जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं रही जबकि वादग्रस्त आराजी पर मिसरूदास के देहान्त पश्चात् बाबूलाल व चम्पालाल पि. मिसरूदास 1/4 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसके पश्चात् बाबूलाल पुत्र मिसरूदास का भी देहान्त हो गया इस पर बाबूलाल पुत्र मिसरूदान के 1/8 वां हिस्सा पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा चम्पालाल 1/8वां हिस्सा पर काबिज काश्त चलता रहा तथा उनके देहान्त पश्चात् उनके वारिसान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने हाल ही में राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तथा बाबूलाल जी के देहान्त पश्चात् राजस्व रेकार्ड में फौतेदगी म्यूटेशन भरने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि वादीगण के पति/पिता बाबूलाल का राजस्व रेकार्ड में 1/8वां हिस्सा दर्ज नहीं होकर 1/24वां हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त करवाना पड़ेगा। इस पर प्रार्थीगण/वादीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी मिसरूदास के 1/4वां हक हिस्सा की रही तथा मिसरूदास के देहान्त पश्चात् उनकी पत्नि मगनी ने अन्यत्र आकोदा में नाता विवाह कर लिया तथा रामबक्स व सांवलदास को नाबालिग अवस्था में ही आकोदा गोदी पुत्री के रूप में रखा तथा रामबक्स व सांवलदास जीवनपर्यन्त ग्राम आकोदा में ही रहे व अपने गोदी पिता की जमीन पर काश्त करते रहे तथा रामबक्स का देहान्त भी हो गया। इसलिए मिसरूदास वाली जमीन में राजस्व रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जाकर बाबूदास, भंवरदास, मंगलदास, पि. रामबक्स, सांवलदास पुत्र मिसरूदास के नाम हटाये जाकर बाबूलाल पुत्र मिसरूदास 1/8 वां हिस्सा व

चम्पालाल पुत्र मिसरूदास 1/8वां हिस्सा दर्ज किया जावें। बाबूलाल जी का भी देहान्त हो चुका है इसलिए वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/8वां हिस्सा के खातेदार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त फरमावें। हल्का पटवारी ने कहा कि उक्त दुरूस्त श्रीमान न्यायालय हाजा में दावा पेश करके ही करवानी पड़ेगी इस पर प्रार्थी वादीगण ने प्रतिवादी से राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान न्यायालय हाजा में वाद पेश करने हेतु कहा इसलिए वादीगण को उक्त वाद पत्र घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खवासपुरा की राजस्व सीमा में स्थित होने से वाद पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है। वादपत्र उचित कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये 4/– अलावा तलबाना पर पेश है। वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है – अतः वाद पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम खवासपुरा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 11 कुल रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा यानि 5.4931 हेक्टेयर भूमि में से बाबूदास, भंवरलाल, मंगलदास पि. रामबक्स, सांवलदास पुत्र मिसरूदास के नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादीगण को 1/8 वां हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावें तथा चम्पालाल पुत्र मिसरूदास को 1/8वां हिस्सा का अन्य सहखातेदारान के साथ साथ नाम दर्ज किया जाकर दुरूस्ती फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के हक में अता फरमावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया ।

इस पर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर की ओर से जवाब प्रस्तुत किया है कि वादीगण लक्ष्मी पत्नि बाबुलाल वगैरा निवासी खवासपुरा कि भूमि ग्राम खवासपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खाता सं. 115 खसरा नम्बर 555, 556, 557, 558, 559,560, 561, 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 11 कुल रकबा 33.19 बीघा (5.4931 हैक्टयर) भूमि खातेदारी दर्ज है । उक्त भूमि डोली बनाम मन्दिर के रेफेन्स मामले में रेफेन्स संख्या 226 प्रकरण पूर्व में दर्ज किया हुआ था जिसका नोट तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 424 प्रमाणित प्रतिलिपि के पुश्त पर अंकित है । नामान्तरकरण सं. 424 विरासत जीवणदास फौत होने से उनके जाइन्दा भाईयो के नाम से एंव पूरणदास फौत होने से उनके जाइन्दा पुत्रो के नाम से जीवणदास, चम्पालाल, रामबगस, बाबुलाल, सावंलदास पिता मिसरूदास, भंवरलाल, ठाकुरदास, मंगलदास पिता रामबगस हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया था । वादीगण लक्ष्मी पत्नि बाबुलाल एवं मजमे आम पुछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि मिसरूदास के 05 पुत्र बाबुलाल, चम्पालाल, जीवणदास, रामबक्स, सांवलदास एवं 01 पत्नि मगनी थी, जो कि मगनी द्वारा आकोदा में नाता (पुनःविवाह) करना बताया है जो कि अपने दो पुत्र रामबक्स व सावलदास को साथ आकोदा लेकर गई थी, वर्तमान में मगनी व रामबक्स फौत होना बताया एवं सांवलदास जीवित होना बताया है। जमाबन्दी सम्वत 2078–78 खाता 115 में रामबक्स के वारिश भंवरलाल, बाबुदास, मंगलदास पिता रामबक्स का नाम दर्ज है। बाबुदास पुत्र रामबक्स का वास्तविक नाम ईश्वरदास होना बताया है। जो कि गांव आकोदा, उप

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तहसील रीयां, तहसील मेड़ता सिटी में निवास करते है। वादीगण लक्ष्मी पत्नि बाबुलाल वगैरा के राजस्व रिकार्ड में बाबुलाल पुत्र मिसरूदास का हिस्सा 1/24 जाति साद सा देह खातेदार दर्ज है। जो कि फौत हो चुका है। जिनके वारिश जीवित एवं मृत निम्नानुसार होना बताया है–

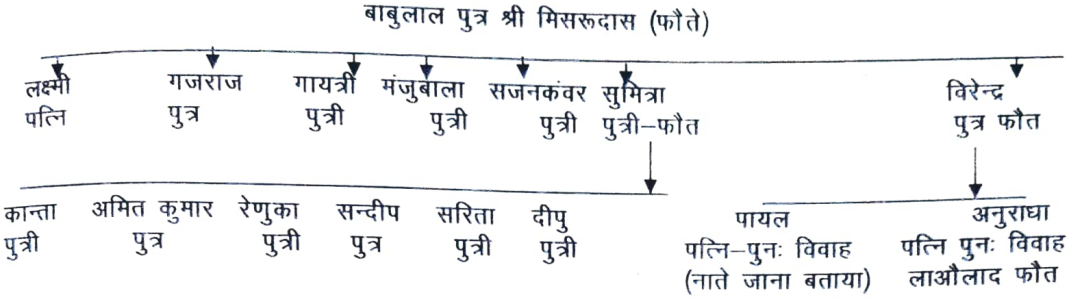

उपरोक्त बाबुलाल पुत्र मिसरूदास की वंशावली लक्ष्मी पत्नि बाबुलाल द्वारा बताने पर अंकित की गई है। सुमित्रा पुत्री बाबुलाल, पायल पत्नि विरेन्द्र व अनुराधा पत्नि विरेन्द्र पुत्र बाबुलाल के साक्षी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया है। उक्त खाता 115 में मिसरूदास के वारिशों का हिस्सा निम्नानुसार शुद्धि किया जाना रिकार्ड अनुसार शुद्धि होगा।

1. चम्पालाल पुत्र मिसरूदास 1/24 के स्थान पर 1/16 हिस्सा
2. बाबुलाल पुत्र मिसरूदास 1/24 के स्थान पर 1/16 हिस्सा
3. सांवलदास पुत्र मिसरूदास 1/24 के स्थान पर 1/16 हिस्सा
4. भंवरलाल पुत्र रामबक्स 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा
5. बाबुदास पुत्र रामबक्स 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा
6. मंगलदास पुत्र रामबक्स 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा

नोटः रामबक्स के वारिसों का कुल 1/16 हिस्सा बनेगा। बाबुदास पुत्र रामबक्स का वास्तविक नाम ईश्वरदास पुत्र रामबक्स होना बताया गया है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं वकील प्रतिवादी वकील का जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय सुनी जाकर वादिनी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा नं. 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 कुल खसरा 11 कुल रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा यानि 5.4931 हेक्टेयर भूमि में से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्रो को संदर्भित करते हुए अवशेष उत्तराधिकारीयो के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 1 माह में पढ़ावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.07.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर